(97)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

जयपुर दिनांक: 27/8/08

क्रमांक: प.3(67)नविवि/111/0

–: अधिसूचना :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 1.7.08 को सम्पन्न हुई बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट एण्ड इनवेस्टमेंट प्रमोशन (बीडी) की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 90 की उपधारा 2 एवं 3 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन क्षेत्र में भू उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए राज्यस्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को समाप्त कर भू–उपयोग परिवर्तन के समस्त प्रकरण जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से अनुमोदन के पश्चात् सीधे ही राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेगें तथा राज्य सरकार से अनुमोदन के बाद भू–उपयोग परिवर्तन की अंतिम कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

27/08/2008

(अशोक सम्पतराम)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर अंक की 1 प्रति इस विभाग को भेजने की व्यवस्था करें।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, बी.आई.पी. उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव